

04/02/22

Date .....  
Page .....

Q मुसलमानों में तलाक के विचार क्यों हैं? स्पष्ट कीजिए।

Ans मुसलमानों में तलाक अर्थात् विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जिन्ही सरल है उसी विसी ही दूसरे समाज में नहीं है। विवाह एक समझौता है दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब इस समझौते का पालन नहीं करता है तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जाता है। प्राचीन अरब में तलाक की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पति अपनी पत्नी को कभी भी अपने पार के बन्धन से मुक्त कर सकता था। ऐसा करने के लिए उसे बर हक दिया गया। एक अर्थात् वह कुछ मुद्रा लौटाना पड़ता था। एक ही ही मंद पर तप में लिया। पति की अनुमति बिना ही पत्नी पार द्वारा लिया गया। मंद लौटकर विवाह विच्छेद कर सकती है। तलाक के लिए मुस्लिम कानून पुरुषों के पक्ष में युक्त हुआ है।

मुस्लिम तलाक कानून के अनुसार पति अपनी पत्नी को जब चाहे कोई स्पष्ट न करे कि वह पत्नी से चाहे तब तक सहवास न करे। मुसलमानों में तलाक अर्थात् तब तक विना अदालत की सहमति में तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। लिखित में तलाक देने की तलाक नामा कहा जाता है।

का उलना में पुरुष को ही उलना  
देने को अधिक स्वतंत्रता है।  
उलना में महिलाओं को ही

(ii) उलना - कोई भी सही दिशा में  
वाला कपड़ा पुरुष को ही अपनी  
इच्छा में अपना किसी स्थिति  
में उलना उलना को व्यवहार कर  
सकता है। ऐसा करने में उसे कोई  
कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है।  
मौखिक उलना ही उलना से ही संभव  
है।

(iii) उलना अर्थ - इसके अन्तर्गत  
पुरुषों के मौखिक धर्म (उलना) के समय  
परि उलना उलना को व्यवहार कर  
देता है और उलना को उलना उलना  
संस्था नहीं करता है। इस उलना  
को समाधि के बाद उलना मान  
लिखा जाता है। उलना का समय  
उलना ही वैवाहिक संभव संस्था  
ही जाना जाता है।

(iii) उलना अर्थ - इसमें परि  
ही उलना अर्थात् मौखिक धर्म के बीच  
के समय में ही उलना उलना उलना  
करता है और इस बीच उलना उलना  
से संस्था नहीं करता है। इस  
उलना को समाधि के बाद उलना  
मान लिखा जाता है।

(iii) उलना उलना - इसमें परि  
उलना ही मौखिक धर्म के उलना पर



श्री 5. समझ के बाद तलाक की तीन  
बार घोषणा कया है और इसके बाद  
इन्हें दो अवधि समाप्त होने पर  
तलाक मान लिया जाता है।

(2) इला - इसमें पति खुदा की  
कसम खाकर यह घोषणा करता है  
कि वह चार माह या अधिक  
समय तक पत्नी के साथ सहवास  
न करने का प्रस्ताव करता है।  
यदि अवधि समाप्त होने पर तलाक की  
रسم मान ली जाती है। यदि इस  
अवधि में सहवास हो जाता है तब  
तलाक वापस लिया जाता है।

(3) खला - इसमें पत्नी पति से  
कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त  
कर दे तो वह उसे जेहर वापस लौटाकर  
उसकी खानेपान करेगी।

(4) मुबारक - यह तलाक दोनों  
की 'पारस्परिक सहमति' से होता है,  
किंतु इसमें खला की तरह पत्नी पति को  
कोई वन नहीं देती है। इस प्रकार के  
तलाक में पत्नी को इन्हें की अवधि के  
दौरान पति के पास ही रहनी है।

(5) जिहर - जब पति अपनी पत्नी को  
तुलना किसी ऐसे सख्तव्य में करे जिन्हें  
विवाह निषेध है, जैसे वह यह कहे कि तुम  
मे भूत की कसम हो तो पत्नी पति को  
प्रत्यक्ष करके मार सकती है। यदि  
पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी आत्महत्या  
से तलाक की घोषणा कर सकती है।  
अतः तलाक स्वीकार

(6) अधिमान - भावे पात्र अपनी पत्नी पर लभित्वारणी होने का आरोप लगाया है और अपने आरोप को साबित नहीं कर पाया, अब पत्नी अदालत में शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है; लेकिन यदि द्वारा मापी जाये तो पर पत्नी उसे शिकायत नहीं दे सकती।

(7) अदालत द्वारा शिकायत - मुस्लिम शिकायत कानून 1939 ई के द्वारा भी पति - पत्नी को अनेक देशों में शिकायत का अधिकार दिया गया था। इस कानून में अदालत के द्वारा करने संशोधन किया गया है और सभी साद यानी के केस में सुप्रीमकोर्ट का नया आदेश भी निर्गत किया गया है और सरकार के द्वारा भी हमें ~~किस~~ संप्रधान संशोधन किया गया है।

DR VIKANT KUMAR MISHRA

Asst Prof Guest Faculty

Part time

Dept of sociology

Date ~~10/10/2021~~

B.A Hons Paper II Part I